सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 313/2017 दायर दिनाँक 10.11.2017

वादीनी		प्रतिवादी
1. रोशनी बानो पत्नी अयूब खाँ, जाति–कायमखानी, निवासी–बैरीखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती व घोषणा खातेदारी,
अन्तर्गत धारा– 136, 88 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री हकीम खान, अधिवक्ता, वादीनी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 08.12.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादीनी का खेत खसरा नम्बर 287 खाता संख्या 206 रकबा 13.17 बीघा, शरहद बैरी खुर्द में अवस्थित है।

उपर्युक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम रोशनी बानो दर्ज है।

आधार कार्ड, राशन–कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान–पत्र, गैस कनैक्शन उपभोक्ता–कार्ड में वादीनी का नाम रोशन बानो दर्ज है। उक्त दस्तावेजात् की प्रति साथ दावा पेश है।

वादीनी के का नाम राजस्व रिकॉर्ड में "रोशनी बानो" दर्ज होने व वादीनी के अन्य उपर्युक्त दस्तावेजात् में "रोशन बानो" दर्ज होने से वादीनी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे वादीनी को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ता है जिससे वादीनी के जायज अधिकारों पर कुठाराघात होता है। वादीनी का अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त करवाने का कानूनी हक अधिकार है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना वादीनी है कि–

शरहद बैरी खुर्द में खेत खसरा नम्बर 287 रकबा 13.16 बीघा में वादीनी का नाम रोशनी बानो गलती से दर्ज हो गया है जिसको दुरस्त करवाकर इसके स्थान पर रोशन बानो किया जावे व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वादीनी ने दस्तावेजी साक्ष्य में, वाद के साथ वाद के समर्थन में अपनी ओर से शपथ–पत्र, जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम बेरीखुर्द सम्वत् 2072–2075 खेवट संख्या 206/180 खसरा संख्या 287 रकबा 13.16 बीघा की प्रमाणित प्रतिलिपि, भारत–सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 397009585814 नाम– रोशन बानु की छायाप्रति, राजस्थान–सरकार द्वारा परिवार राशन–कार्ड संख्या 00617 ग्राम बेरी खुर्द की छायाप्रति, गैस उपभोक्ता क्रमांक 119 उपभोक्ता का नाम– रोशन बानु, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र संख्या RJ/25/194/447615 निर्वाचक का नाम– रोशन बानू की छायाप्रति, पेश की है।

विद्वान वकील वादीनी की सारगर्भित एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादीनी की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वकील वादी ने अपनी एकपक्षीय बहस के दौरान कथन किया कि, शरहद बैरी खुर्द में खसरा नम्बर 287 रकबा 13.16 बीघा के राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम रोशनी बानो दर्ज है। वादीनी के अन्य दस्तावेजात् में रोशन बानु दर्ज है। इस प्रकार भिन्न–भिन्न प्रवृष्टि की वजह से वादीनी को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसको निवारण हेतु वादीनी के अन्य दस्तावेजात् में वादीनी का जो नाम रोशन बानु दर्ज है उसी अनुरूप वादीनी की वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में भी वादीनी का नाम रोशन बानु ही दुरस्त किया जावे। वादीनी के वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। वादग्रस्त भूमि में अपना नाम "रोशन बानु" दुरस्त करवाना चाहती है। ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

287 में वादीनी का वर्तमान में दर्ज नाम रोशनी बानो के स्थान पर रोशन बानु दुरस्त किया जाना हमारे मत न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीनी, वादीनी के पक्ष में डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद बेरी खुर्द पटवार क्षेत्र बेरी खुर्द भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नूवाँ तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थाान में खेवट (खतौनी) संख्या 206/180 खसरा संख्या 287 रकबा 13.16 में, वादीनी का वर्तमान में दर्ज नाम ''रोशनी बानो पत्नी अयूब खाँ'' के स्थान पर ''रोशन बानु पत्नी अयूब खाँ'' दुरस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **08.12.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 313/2017 दायर दिनाँक 10.11.2017

वादीनी		प्रतिवादी
1. रोशनी बानो पत्नी अयूब खाँ, जाति—कायमखानी, निवासी—बैरीखुर्द, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती व घोषणा खातेदारी,
अन्तर्गत धारा— 136, 88 R.T.Act.

दिनाँक 08.12.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हकीम खान, अधिवक्ता, वादीनी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर शरहद बेरी खुर्द पटवार क्षेत्र बेरी खुर्द भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नूवाँ तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थाान में खेवट (खतौनी) संख्या 206/180 खसरा संख्या 287 रकबा 13.16 में, वादीनी का वर्तमान में दर्ज नाम "रोशनी बानो पत्नी अयूब खाँ" के स्थान पर "रोशन बानु पत्नी अयूब खाँ" दुरस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत................ ....—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 08.12.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	—		महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–313–2017/रीडर/2017//134 दिनाँक 6/2/18

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती व घोषणा खातेदारी,
अन्तर्गत धारा– 136, 88 R.T.Act.

वादीनी		प्रतिवादी
1. रोशनी बानो पत्नी अयूब खाँ, जाति–कायमखानी, निवासी–बैरीखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner